योजना का सार

निष्क्रिय लाभार्थी से सक्रिय नागरिक तक

परिचय

- भारत का विकास दृष्टिकोण समय के साथ 'राज्य-केंद्रित कल्याण मॉडल से लेकर नागरिकों को सक्रिय विकास एजेंट मानने वाले सहभागी लोकतंत्र तक' बदलता रहा है। सहभागी शासन (Participatory Governance) समावेशन, जवाबदेही एवं संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण है, विशेषकर जलवायु परिवर्तन व शहरीकरण जैसी चुनौतियों के बीच।

राज्य-केंद्रित से सहभागी विकास की ओर बदलाव

- प्रारंभिक चरण (1950-1970 के दशक)
  - पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिकीकरण, कृषि एवं अवसंरचना को प्राथमिकता दी गई। नागरिकों को निष्क्रिय लाभार्थी माना गया और केंद्रीकृत विशेषज्ञता हावी रही। इससे स्वामित्व में कमी, कमजोर स्थायित्व और संसाधनों के अप्रभावी उपयोग जैसी समस्याएँ पैदा हुईं।
- मॉडल पर पुनर्विचार (1970-1980 के दशक)
  - स्थानीय स्तर के अनुभवों ने शीर्ष-से-नीचे योजनाओं की सीमाएँ उजागर कीं। पारंपरिक सामुदायिक सहयोग और सामूहिक निर्णय लेने की प्रथाओं को मान्यता मिली।

प्रारंभिक सहभागी प्रयोग (1980-1990 के दशक)

- सामाजिक वन (Social Forestry, 1976) और संयुक्त वन प्रबंधन (Joint Forest Management, 1988–90) ने ग्राम वन समितियों के माध्यम से समुदायों को शामिल किया।

- जलाधार कार्यक्रम (IWDP 1989; NWDPRA 1990–91) ने उपयोगकर्ता समूहों और सूक्ष्म-योजना (Micro-Planning) को संस्थागत बनाया।
- DPEP (1994) ने ग्राम शिक्षा समितियों और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा दिया।

सहभागिता का संवैधानिकीकरण

- 73वें और 74वें संविधान संशोधनों (1992-93) ने पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और नगर निकायों (ULBs) को सुदृढ़ किया। ग्राम सभाएँ, वार्ड समितियाँ और जिला योजना निकायों ने नागरिकों को योजना और निगरानी में शामिल किया। परियोजना-आधारित सहभागिता से वैधानिक प्रशासन में बदलाव हुआ।

सामूहिक संस्थाओं का विस्तार (1990 के दशक के बाद)

- SGSY (1999) के तहत स्वयं-सहायता समूहों (SHGs) ने महिलाओं को आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया।
- राष्ट्रीय FPO नीति (2013) और 10,000 FPO योजना (2020) के बाद किसान उत्पादक संगठन (FPOs) ने सामूहिक सौदेबाजी को बढ़ावा दिया।
- GPDP (2015) ने ग्राम पंचायत स्तर पर वार्षिक सहभागी योजना को संस्थागत किया।

निष्कर्ष

- भारत का अनुभव दिखाता है कि स्थानीय निर्वाचित प्रशासन के साथ सहभागी विकास लोकतंत्र को मजबूत करता है। सहभागिता केवल विकास का उपकरण नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक नागरिकता की नींव भी है जो समुदायों को निर्णय, संसाधनों एवं परिणामों को आकार देने का अधिकार देती है।

प्रतिमान परिवर्तन : महिला नेतृत्व में विकास

परिचय

- भारत अब केवल महिलाओं के विकास (Women's Development) से आगे बढ़कर महिला नेतृत्व में विकास (Women-Led Development) की ओर बढ़ रहा है जहाँ महिलाएँ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की प्रेरक शक्ति बनती हैं। यह दृष्टिकोण विकसित भारत @2047 और नारी शक्ति के विजन के अनुरूप है।

महिला नेतृत्व में विकास : अवधारणा और औचित्य

- महिला नेतृत्व में विकास केवल कल्याण (Welfare) तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें सक्षम क्षमता (Agency)] नेतृत्व और निर्णय लेने की शक्ति पर जोर है।
- भारत की G20 अध्यक्षता (2023) ने नारी शक्ति को केंद्र में रखते हुए इस बदलाव को मजबूती दी।
- IMF के अनुमान के अनुसार, महिला श्रम शक्ति में 5.8% वृद्धि से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के GDP में लगभग 8% की बढ़ोतरी संभव है।

सशक्तिकरण की आधारशिला : शिक्षा

- NEP 2020 ने बालिकाओं की शिक्षा और सार्वजनिक मौलिक साक्षरता को प्राथमिकता दी है।
- उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 4.33 करोड़ तक पहुँच गया जो कुल नामांकन का लगभग 50% है (2022-23)।
- IITs में अतिरिक्त सीटें (Supernumerary Seats) 2018 से लागू की गईं, जिससे अधिकांश IITs में 20% महिला नामांकन प्राप्त हुआ।
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं और छात्रवृत्तियों ने विद्यालयी शिक्षा में लिंग अंतराल को कम किया।

आर्थिक भागीदारी और उद्यमिता

- अक्तूबर 2025 तक DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त 1.97 लाख स्टार्टअप में लगभग 48% में कम-से-कम एक महिला निदेशक/साझेदार है।
- महिलाएँ कार्य-योग्य जनसंख्या का 37% हैं जो स्थिर सुधार को दर्शाता है (PLFS)।
- अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं का प्रभुत्व कृषि में 62.9% और मनरेगा (MGNREGS) में 57.4% (2022-23) है।
- DAY-NRLM के माध्यम से 90.76 लाख स्वयं-सहायता समूहों (SHGs) के तहत 10.04 करोड़ से अधिक महिलाएँ संगठित हुईं।

राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व

- लोकसभा में लगभग 15% और राज्यसभा में 14% सीटें महिलाओं के पास हैं जिससे लगातार अंतर बना हुआ है।
- पंचायती राज संस्थाओं में मजबूत समावेशन प्रदर्शित होता है जिसमें 46.94% प्रतिनिधि महिलाएँ हैं (MoPR, 2024) अर्थात 3.1 मिलियन स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों में से लगभग 1.3 मिलियन महिलाएँ।
- नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान करता है।
- वित्तीय समावेशन और संपत्ति स्वामित्व
- महिलाओं के पास 39.2% बैंक खाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में यह 42.2% तक पहुँचता है।
- डीमैट (DEMAT) खाते 33.26 मिलियन (2021) से बढ़कर 143.02 मिलियन (नवम्बर 2024) हो गए।
- PMAY-G जैसी योजनाओं से महिलाओं के सामाजिक निवेश में वृद्धि हुई है, जैसे बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश।

निष्कर्ष

- महिला नेतृत्व में विकास लाभार्थियों से विकास और शासन के नेतृत्वकर्ता बनने की संरचनात्मक दिशा को दर्शाता है। शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और वित्तीय समावेशन में निरंतर निवेश आवश्यक है ताकि विकसित भारत @2047 में महिलाएँ भारत के विकास पथ को समान साझेदार के रूप में आकार दें।

जलवायु वित्त

परिचय

- जलवायु वित्त का महत्त्व उपशमन (Mitigation)] अनुकूलन (Adaptation) और लचीलापन (Resilience) के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए बड़े पैमाने पर सार्वजनिक-निजी निवेश की आवश्यकता होती है जो विकास प्राथमिकताओं और जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हो।

जलवायु वित्त का अर्थ एवं महत्त्व

- यह वित्तीय संसाधनों (सार्वजनिक, निजी, घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय) को दर्शाता है जो उपशमन, अनुकूलन एवं लचीलापन के लिए उपयोग किए जाते हैं।
- यह पेरिस समझौते (Article 9) और सामान्य किन्तु विभेदित जिम्मेदारियाँ एवं क्षमता (CBDR-RC) के सिद्धांत पर आधारित है।
- विकासशील देशों में बढ़ती तापमान, चरम मौसम, जैव विविधता ह्रास और आजीविका जोखिमों को संबोधित करने के लिए यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

वैश्विक जलवायु वित्त संरचना

- वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) 1992 : विभिन्न पर्यावरणीय अभिसमयों के लिए वित्तीय तंत्र

- हरित जलवायु कोष (GCF) 2010 : 2011 से कार्यान्वित और दुनिया का सबसे बड़ा जलवायु कोष
- विशेष जलवायु परिवर्तन कोष (SCCF) और अल्प विकसित देश कोष (LDCF) 2001 : अनुकूलन को वित्तपोषित करने के लिए
- वर्ष 2007 से परिचालित अनुकूलन कोष : परियोजना आधारित अनुकूलन वित्त
- हानि और क्षति कोष (COP 28, 2023) : संवेदनशील विकासशील देशों का समर्थन
- वित्त संबंधी स्थायी समिति (COP 16, 2010) : वित्तीय प्रवाह का समन्वय एवं मूल्यांकन

भारत की जलवायु वित्त आवश्यकताएँ और प्रतिबद्धताएँ

- भारत ने नेट जीरो 2070 की घोषणा की और COP 26 में 2030 NDCs को सुदृढ़ किया।
- केवल उपशमन के लिए 2030 तक $2.5 ट्रिलियन से अधिक की आवश्यकता।
- वर्ष 2015-2030 के बीच अनुकूलन और लचीलापन के लिए अतिरिक्त $1 ट्रिलियन (+67 बिलियन प्रति वर्ष) आवश्यक।
- वर्तमान में अनुमानित जलवायु वित्त आवश्यकताओं का केवल 25% से कम ही ट्रैक किए गए निवेशों से पूरा हो रहा है।

भारत में राष्ट्रीय जलवायु वित्त उपकरण

- राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष (NAFCC) 2015 : नाबार्ड के माध्यम से SAPCC-संगत परियोजनाओं का समर्थन
- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण : अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹35 करोड़ तक के ऋण

- सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (बजट 2022-23) : अक्षय ऊर्जा, हरित अवसंरचना और लचीलापन हेतु निधि
- ग्रीन बॉन्ड और ग्रीन डिपॉजिट : निजी पूंजी को सतत परियोजनाओं में निवेश करना
- जलवायु परिवर्तन वित्त इकाई (2011) : वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जलवायु वित्त का नोडल निकाय

वित्तीय संस्थाओं एवं नियामकों की भूमिका

- सतत वित्त समूह (RBI, 2021) : जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों को संबोधित करना
- वित्तीय प्रणाली को हरित बनाने के लिए नेटवर्क (NGFS) : 2021 में RBI ने वैश्विक समन्वय के लिए इसमें शामिल हुआ।
- आरबी-सीआरआईएस (जलवायु जोखिम सूचना प्रणाली) : वित्तीय आकलन के लिए जलवायु जोखिम डेटा को मानकीकृत करना।

निष्कर्ष

- जलवायु वित्त भारत के निम्न कार्बन और जलवायु-लचीले अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण तथा विकसित भारत @2047 के विजन में केंद्रीय भूमिका निभाता है। अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय वित्त को बढ़ाना, निजी पूंजी को सक्रिय करना और घरेलू हरित वित्तीय उपकरणों को सशक्त बनाना, जलवायु वित्त अंतराल को पाटने और न्यायसंगत वैश्विक जलवायु कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।

LiFE और वैदिक मार्ग

प्रस्तावना

- लाइफ/LiFE (Lifestyle for Environment- पर्यावरण के लिए जीवनशैली) जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान को एक व्यावहारिक

और सभ्यतागत विकल्प के रूप में प्रस्तुत करता है। यह आधुनिक संधारणीयता लक्ष्यों को भारत के वैदिक दर्शन के साथ जोड़ता है और विकसित भारत @2047 की ओर मार्ग प्रशस्त करता है।

LiFE : अवधारणा और वैश्विक स्थिति

- अगस्त 2022 में भारत के अद्यतन एन.डी.सी. (NDC) में शामिल 'LiFE' उपभोग-आधारित विकास के बजाय व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर जोर देता है।
- यह इस बात को स्वीकार करता है कि जलवायु लचीलापन (Resilience) केवल तकनीक या विनियमन से नहीं, बल्कि दैनिक जीवनशैली के चुनाव से शुरू होता है।
- यह सतत विकास के क्षेत्र में भारत को एक 'वैचारिक नेतृत्वकर्ता (Thought Leader)* के रूप में स्थापित करता है।

मिशन LiFE : तीन-चरणीय व्यवहार ढांचा

- चरण I- मांग में परिवर्तन : व्यक्तियों को पर्यावरण के अनुकूल उपभोग की ओर प्रेरित करना
- चरण II- आपूर्ति में परिवर्तन : बाजार और उद्योग अपनी आपूर्ति श्रृंखला को स्थिरता (Sustainability) के अनुरूप ढालकर प्रतिक्रिया देते हैं।
- चरण III- नीति में परिवर्तन : व्यवहार में आने वाला बदलाव सतत उत्पादन और उपभोग के लिए नीतिगत सुधारों को उत्प्रेरित करता है।

LiFE के नैतिक आधार के रूप में वैदिक दर्शन

- मितहार (संयम) : संयमित और आवश्यकता-आधारित उपभोग पर बल देता है (ऋग्वेद 1.81; यजुर्वेद 19.30)
- यज्ञ (त्याग) : संसाधनों के उपयोग में साझा जिम्मेदारी और परोपकार की वकालत करता है (ऋग्वेद 10.90)

- अपरिग्रह (संग्रह न करना) : अनावश्यक संचय न करने और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करता है (योग सूत्र 2.39)
- सत्य एवं धर्म : नैतिक जीवन मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य सुनिश्चित करता है (ऋग्वेद 10.85.1)

जिम्मेदार उपभोग को बढ़ावा देने के सरकारी उपाय

- केंद्रीय बजट 2024-25 : जलवायु-अनुकूल कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, जैविक खेती और 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के तहत रूफटॉप सोलर पर विशेष जोर
- इकोमार्क नियम, 2024 : 1991 की योजना के स्थान पर अद्यतन इको-लेबलिंग ढांचा
- उत्सर्जन कटौती लक्ष्य (2025) : 282 औद्योगिक इकाइयों के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की सीमा तय करना और कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग की शुरुआत
- एकीकृत भारत जैविक लोगो (2024) : जैविक प्रमाणीकरण मानकों का सामंजस्य
- RUCO योजना : स्वास्थ्य और पर्यावरणीय जोखिमों को कम करने के लिए 'इस्तेमाल किए गए खाना पकाने के तेल' (Used Cooking Oil) को बायोडीजल में बदलना

दर्शन से व्यवहार तक

- 'गोवर्धन' (GOBARdhan) जैसी पहल 'कचरे से कंचन' (Waste-to-Wealth) के मॉडल को बढ़ावा देती है।
- हिवरे बाजार (महाराष्ट्र), आंधी (राजस्थान) और जीरो वैली (अरुणाचल प्रदेश) जैसे सफल उदाहरण।
- 'जल उत्सव' और 'मिलेट (बाजरा) महोत्सव' जैसे कार्यक्रम संधारणीयता को विरासत के साथ जोड़ते हैं।

निष्कर्ष

- LiFE संधारणीयता को केवल एक नीतिगत आदेश से बदलकर भारत की सभ्यतागत बुद्धिमत्ता पर आधारित 'जीवन जीने के तरीके' के रूप में स्थापित करता है। प्राचीन नैतिकता को आधुनिक शासन के साथ जोड़कर LiFE आर्थिक प्रगति, पारिस्थितिक लचीलेपन एवं सामाजिक सद्भाव के बीच संतुलन बनाने का एक अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत करता है जो विकसित भारत @2047 के मार्ग को सुगम बनाता है।

भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS) का एकीकरण

प्रस्तावना

- भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS) समुदायों में रची-बसी उस कालजयी बुद्धिमत्ता का प्रतिनिधित्व करती है जो दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा और कला के क्षेत्रों में सदियों से परीक्षित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) इस ज्ञान के एकीकरण को एक समग्र और भविष्य के लिए तैयार शिक्षा प्रणाली के निर्माण हेतु अनिवार्य मानती है।

IKS : वैश्विक और भारतीय संदर्भ

- IKS का तात्पर्य उस स्थान-आधारित और सामुदायिक ज्ञान से है जो प्रकृति एवं समाज के साथ लंबे जुड़ाव के माध्यम से विकसित हुआ है।
- भारत में IKS का अर्थ हजारों वर्षों की उस सुव्यवस्थित, लिखित व मौखिक बौद्धिक परंपरा से है जिसमें दर्शन, गणित, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, वास्तुकला, कला एवं प्रशासन शामिल है।
- इसी प्रकार की ज्ञान प्रणालियाँ ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों (Aborigi-nals)] माओरी (M□ori)] अफ्रीकी जनजातियों और मूल अमेरिकियों के बीच भी पाई जाती हैं।

भारत का दृष्टिकोण और वैश्विक नेतृत्व

- G20 शिखर सम्मेलन (नवंबर 2025) जोहान्सबर्ग में भारत ने पारंपरिक ज्ञान, कौशल और सुरक्षा को जोड़ने की वकालत की।
- भारत ने स्वदेशी ज्ञान को संरक्षित और प्रसारित करने के लिए एक 'ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपॉजिटरी' का प्रस्ताव रखा।
- ज्ञान तक पहुँच के माध्यम से व्यावसायिक सशक्तिकरण, समावेशी विकास और सतत प्रगति पर जोर दिया गया।

NEP 2020 और समग्र शिक्षा

- NEP 2020 आधुनिक पाठ्यक्रम के साथ IKS को जोड़कर बहुविषयक (Multidisciplinary) शिक्षा को बढ़ावा देती है।
- समझ और संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाने के लिए कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा की वकालत
- तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला के प्राचीन शिक्षण आदर्शों को पुनर्जीवित करना
- आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता, सहयोग और नैतिक तर्क पर ध्यान केंद्रित करना

IKS और आधुनिक विज्ञान : संपूरकता

- जहाँ आधुनिक विज्ञान प्रयोगों व पुनरुत्पादन (Reproducibility) पर निर्भर है, वहीं IKS व्यावहारिक अनुभव एवं अवलोकन पर आधारित है।
- इनका एकीकरण स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण और प्रशासन की समस्याओं का संदर्भ-संवेदनशील समाधान प्रदान करता है।
- चरक, सुश्रुत, आर्यभटे, ब्रह्मगुप्त, पाणिनी एवं पतंजलि जैसे विचारकों का योगदान इस तालमेल को सिद्ध करता है।

दस्तावेजीकरण, डिजिटलीकरण और संस्थान

- पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (TKDL) ने 4.5 लाख से अधिक औषधीय योगों का दस्तावेजीकरण किया जो 'बायोपायरेसी' (जैव-चोरी) को रोकता है।
- AICTE का IKS प्रभाग देश भर में 32 से अधिक IKS केंद्रों और पाठ्यक्रम विकास में सहयोग कर रहा है।
- अस्मिता (ASMITA) परियोजना से UGC का लक्ष्य भारतीय भाषाओं में 22,000 शैक्षणिक पुस्तकें प्रकाशित करना है।
- ज्ञान भारतम मिशन (2025) का लक्ष्य भारत की बौद्धिक विरासत का एक एकीकृत डिजिटल भंडार बनाना है।

कार्यान्वयन, चुनौतियाँ और केस स्टडी

- वर्तमान में 12 विश्वविद्यालयों में लगभग 38 औपचारिक IKS पाठ्यक्रम चल रहे हैं और 8,000 संस्थान इसे अपना रहे हैं।
- ज्ञान का मौखिक हस्तांतरण, मानकीकरण का अभाव, डिजिटल विभाजन और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सीमित पहुँच।
- उदाहरण : महर्षि कणाद का परमाणु सिद्धांत (जो डाल्टन से सदियों पहले आया) यह दर्शाता है कि प्राचीन ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक ढांचे में एकीकृत करना क्यों चुनौतीपूर्ण है।

रोजगार क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय मॉडल

- IKS का ज्ञान टिकाऊ कृषि, हर्बल चिकित्सा, पर्यावरण और सामुदायिक विकास के क्षेत्रों में रोजगार क्षमता बढ़ाता है।

- अफ्रीकी एवं दक्षिण अफ्रीकी विश्वविद्यालयों ने दिखाया है कि स्वदेशी ज्ञान को जोड़ने से छात्रों की सांस्कृतिक जड़ें मजबूत होती हैं और जुड़ाव बढ़ता है।
- TVET कार्यक्रम : स्वदेशी ज्ञान को तकनीकी शिक्षा (TVET) के साथ जोड़ने से नौकरी की तैयारी और पारिस्थितिक जागरूकता में सुधार होता है।

निष्कर्ष

- IKS का एकीकरण शिक्षा को 'रटने' से बदलकर 'बुद्धिमत्ता-आधारित' जांच में बदल देता है जहाँ परंपरा का नवाचार के साथ संगम होता है। संस्थागत क्षमता, डिजिटल पहुँच और नैतिक सुरक्षा उपायों के साथ IKS सतत विकास, सांस्कृतिक निरंतरता एवं वैश्विक प्रासंगिकता को नई शक्ति प्रदान कर सकता है।